

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. अपील संख्या - 1630/2008/अलवर. | 7. अपील संख्या - 1636/2008/अलवर. |
| 2. अपील संख्या - 1631/2008/अलवर. | 8. अपील संख्या - 1637/2008/अलवर. |
| 3. अपील संख्या - 1632/2008/अलवर. | 9. अपील संख्या - 1638/2008/अलवर. |
| 4. अपील संख्या - 1633/2008/अलवर. | 10. अपील संख्या - 1639/2008/अलवर. |
| 5. अपील संख्या - 1634/2008/अलवर. | 11. अपील संख्या - 1640/2008/अलवर. |
| 6. अपील संख्या - 1635/2008/अलवर. | 12. अपील संख्या - 1641/2008/अलवर. |

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, अलवर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स एम.आई.ए. प्लास्टिसाईजर्स एण्ड एलाईड
प्रोडक्ट प्रा० लिमिटेड, अलवर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री ओ. पी. गुप्ता, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.


निर्णय दिनांक : 05/10/2015

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये बारह अपीलों उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 251, 253, 255, 259, 261/उपा-भरत/04-05/आरएसटी एवं 252, 254, 256, 258, 260, 262/ उपा-भरत/04-05/सीएसटी में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 37 के तहत पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 15.04.2008 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।

2. इन सभी अपीलों में पक्षकार एवं विवाद बिन्दु समान होने से सभी अपीलों का निस्तारण एक ही संयुक्त निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों वर्ष 1995-96 से 2000-01 के दौरान बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1987 (जिसे आगे 'योजना' कहा जायेगा) के तहत लाभ प्राप्त किया गया है। वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, अलवर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों के अधिनियम की धारा 30 एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 के तहत कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा योजना के



लगातार.....2

क्लॉज-4(ई)(आई) का उल्लंघन किया जाना मानते हुए तदनुसार कर व ब्याज का आरोपण किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलों में अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 09.08.2007 को आदेश पारित करते हुए अपीलें स्वीकार की गयी तथा प्रत्यर्थी द्वारा जमा राशि लौटाये जाने के निर्देश दिये गये। उक्त आदेशों को संशोधित किये जाने हेतु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 37 के तहत संशोधन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(12)एफडी/टैक्स/07-08 दिनांक 11.04.2007 में जमा राशि को रिफण्ड नहीं किये जाने का प्रावधान है, साथ ही सी.एस.टी. के अन्तर्गत भी सृजित मांग को अपलेखित करने के आदेश में भी जमाशुदा राशि को रिफण्ड करने के निर्देश नहीं हैं। अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त संशोधन प्रार्थना-पत्रों में दिनांक 15.04.2008 को संयुक्तादेश पारित करते हुए कर निर्धारण अधिकारी के संशोधन प्रार्थना-पत्र यह कहते हुए अस्वीकार किये गये कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा योजना के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है तथा प्रत्यर्थी द्वारा जमा कराई गई राशि मांग पेटे ना होकर अपील सुनवाई हेतु जमा कराई गयी है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

4. बहस के दौरान राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवहारी द्वारा योजना का लाभ लेने के उपरान्त आगामी वर्षों में औसत उत्पादन किये जाने सम्बन्धी आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये गये तथा आगामी वर्षों में औसत उत्पादन से कम उत्पादन किये जाने के कारण योजना के क्लॉज-4(e)(i) का उल्लंघन होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर एवं ब्याज का आरोपण विधि अनुसार किया गया था। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि अधिसूचना दिनांक 11.04.2007 में जमा राशि के रिफण्ड के प्रावधान नहीं होने तथा सी.एस.टी. में भी जमा राशि के रिफण्ड के प्रावधान नहीं होने के बावजूद अपीलीय अधिकारी द्वारा रिफण्ड हेतु निर्देशित किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। इसी प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के मूल आदेशों में की गई उक्त त्रुटि को संशोधित किये जाने हेतु अधिनियम की धारा 37 के तहत प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना-पत्रों को अस्वीकार किये जाने में भी अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपीलें स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है।



5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि व्यवहारी द्वारा पहले पांच वर्षों के उत्पादन से आगे के पांच वर्षों में अधिक उत्पादन किया है, जो औसत उत्पादन से ज्यादा है। व्यवहारी द्वारा योजना के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग प्रथम दृष्टया ही अविधिक थी, जिसे अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गयी थी। अग्रिम कथन किया कि व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग के पेटे कोई राशि जमा नहीं कराई गई थी, बल्कि अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील हेतु बाध्यकारी प्रावधानों के तहत 5 प्रतिशत राशि जमा कराई गई थी, जिसके रिफण्ड हेतु निर्देशित किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।


7. इन प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा योजना के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए सृजित की गई मांग को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करते हुए कर निर्धारण अधिकारी को व्यवहारी द्वारा जमा करवाई गई राशि के रिफण्ड हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके विरुद्ध कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 37 के तहत प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना-पत्र भी अस्वीकार किये गये हैं। इस सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 37 का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :-

Section 37- Rectification of a mistake.- (Rajasthan Sales Tax Act, 1994)

(1) With a view to rectifying any mistake **apparent from the record**, any officer appointed or any authority constituted under the Act may rectify suo motu or otherwise any order passed by him.

Explanation.- A mistake apparent from the record shall include an order which was valid when it was made and is subsequently **rendered invalid by an amendment of the law having retrospective operation or by a judgement of the Supreme court, the Rajasthan High Court or the Rajasthan Tax Board.**

(2) No application for rectification shall be filed under sub-section (1) after the expiry of a period of three years from the date of the order sought to be rectified.



- (3) Where an application under sub-section (1) **is presented to the assessing authority**, appellate authority or Tax Board and a receipt thereof is obtained, it shall be disposed of within a period of one year from the date of presentation and where such application is not disposed of within the said period, the same shall be deemed to have been accepted.
- (4) No rectification under this section shall be made after the expiry of four years from the date of order sought to be rectified.
- (5) An order of rectification which has the effect of increasing the liability of a dealer in any way, shall not be made without affording him an opportunity of being heard.

8. इसी प्रकार वेट अधिनियम की धारा 33 निम्न प्रकार है :-

Section 33. Rectification of a mistake. – (Rajasthan Value Added Tax Act, 2003)

- (1) With a view to rectifying any mistake apparent from the record, any officer appointed or any authority constituted under this Act may rectify *suo motu* or otherwise any order passed by him.

Explanation. – A mistake apparent from the record shall include an order which was valid when it was made and is subsequently rendered invalid by an amendment of the law having retrospective operation or by a judgment of the Supreme Court, the Rajasthan High Court or the Rajasthan Tax Board.

- (2) No application for rectification shall be filed under sub-section (1) after the expiry of a period of three years from the date of the order sought to be rectified.
- (3) Where an application under sub-section (1) is presented to the assessing authority and a receipt thereof is obtained, it shall be disposed of within a period of one year from the date of presentation and where such application is not disposed of within the said period, the same shall be deemed to have been accepted.
- (4) No rectification under this section shall be made after the expiry of four years from the date of the order sought to be rectified.
- (5) An order of rectification which has the effect of increasing the liability of a dealer in any way, shall not be made without affording him an opportunity of being heard.



9. उक्त प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख से प्रकट भूल होने की स्थिति में ही उक्त धारा प्रयोग किये जाने योग्य (Exercisable) है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 2692/2011 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज में पारित निर्णय दिनांक 29.3.2011 [(2011) 29 टैक्स अपडेट 253] में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 37/33 के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग अभिलेख से प्रकट भूल की स्थिति में ही किया जा सकता है। समस्त अभिलेख का पुनर्मूल्यांकन इस धारा के अधीन अनुज्ञेय नहीं है। निर्णय का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है :-

"18. Section 37 of the Act of 1994 provides for a power to rectify any mistake apparent on the record. Such power is vested on the authority to rectify an obvious mistake which is apparent on the face of the records and for which a re appreciation of the entire records is neither possible nor called for. When the subsequent order dated 22.01.2009 passed by the Taxation Board is analysed and scrutinised it would be clear/apparent that the Taxation Board while passing that order exceeded its jurisdiction by re appreciating the evidence on record and holding that there was no mala fide intention on the part of assessee respondent for tax evasion. Such re-appreciation of the evidence to come to a contrary finding was not available under Section 37 of the Act of 1994 while exercising the power of rectification of error apparent on the face of the records.

19. Thus, the order passed by the Taxation Board on 22.1.2009 as also the impugned order and judgment passed by the High Court upholding the said order of the Taxation Board are hereby set aside and quashed and the original order passed by the Assessing Officer is restored."

10. इसी प्रकार का मत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 42 टैक्स अपडेट पार्ट-3 पेज 103 सहायक आयुक्त, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, अलवर बनाम पी.एन.सी. कंस्ट्रक्शन, धौलपुर में पारित निर्णय दिनांक 24.04.2015 में प्रतिपादित किया है।


11. माननीय न्यायालयों के उक्त न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अधिनियम की धारा 37 एवं वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत केवल लिपिकीय त्रुटि संशोधित की जा सकती है। उक्त प्रावधानों का दायरा अत्यन्त सीमित है, जिसके तहत सचेतन मस्तिष्क से पारित किये गये आदेशों को संशोधित नहीं किया जा सकता।



12. प्रकरण की उपरोक्त परिस्थितियों एवं विधिक प्रावधानों तथा माननीय न्यायालयों की उपरोक्त व्यवस्थाओं के प्रकाश में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना-पत्र, अभिलेख से प्रकट भूल को संशोधित किये जाने के स्थान पर मूल निर्णय को परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये जाने के कारण चलने योग्य नहीं रहते हैं। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के संशोधन प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है।

13. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत सभी (बारह) अपीलों अस्वीकार की जाती हैं।

14. निर्णय सुनाया गया।


05.10.2015

(मनोहर पुरी)
सदस्य